न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 1197/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः– 1197/2026
CNR No. UPHP010042022026

मु०अ०सं०– 245/2025
अर्न्तगत धारा– 25/4 आर्म्स एक्ट।
थाना– धौलाना, जिला हापुड़।

कमर आलम पुत्र याकूब, निवासी ग्राम देहरा, थाना धौलाना, जिला हापुड़।
––बनाम––
सरकार।

दिनांकः– 01.06.2026

अभियुक्त कमर आलम पुत्र याकूब की ओर से उक्त केस में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और वादी मुकदमा द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वाहन जाँच के दौरान, शिकायतकर्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को रोका और उससे पैसे की मांग की। इनकार करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में फंसाया है। जांच के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को सीआर०पी०सी० की धारा 41(ए) के तहत नोटिस दिया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत की सभी शर्तों का पालन करने और सहयोग करने के लिए तैयार है। जमानत नियम है और कारावास अपवाद, विशेषकर संपत्ति विवाद से उत्पन्न इस प्रकार के मामले में। प्रार्थी/अभियुक्त एफ०आई०आर० में उल्लिखित पते का स्थायी निवासी है और समाज में उसकी गहरी जड़ें हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के मुकदमे में पूर्ण सहयोग करने का वचन देता है। प्रार्थी/अभियुक्त पर दिखाई गई वसूली मनगढ़ंत है। प्रार्थी/अभियुक्त इस माननीय न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप पर्याप्त जमानत बांड और जमानतदार प्रस्तुत करने के लिए तैयार और इच्छुक है तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी शर्त का पालन करेगा। यदि अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है, तो आवेदकों को अपूरणीय क्षति, प्रतिष्ठा को नुकसान और मानसिक पीड़ा होगी, जबकि जमानत दिए जाने पर अभियोजन पक्ष को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुविधा का संतुलन आवेदकों के पक्ष में है।"

इसके विपरीत विद्वान विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त पर अपराध गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि " आज दिनांक 08.09.2025 को मैं उ०नि० आकाश कुमार व उ०नि० भरत यादव मय हमराह है०कां० 756 अनुज कुमार के थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 60 समय 21:08 बजे रवाना होकर वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था चेंकिग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन तथा वांछित अपराधी मय वाहन प्राइवेट से रवाना होकर चौकी क्षेत्र UPSIDC में भ्रमणशील होकर गश्त करते हुये कोका कोला कम्पनी के बगल से फेस–3 की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि रेलनीर सड़क तिराहे पर एक व्यक्ति खड़ा है जो काले रंग की टी शर्ट व ग्रे कलर की जींस पहन रखी है, जिसके पास अवैध चाकू है, जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर हम पुलिस वालों ने यकीन करके हमराहीयान को बताकर संबधित सूचना के संबन्ध में मुखबिर सहित एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.06.03 17:15:46 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

संबंधित कोई वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर बताये गये स्थान की ओर चल दिये। तिराहे से लगभग 100 मीटर पहले मुखबिर खास ने इशारा देकर बताया कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है जिसने काले रंग की टीशर्ट व ग्रे कलर की जींस पहन रखी है, यह वही व्यक्ति है जिसके पास अवैध चाकू है और मुखबिर खास पीछे की ओर चला गया। तत्पश्चात हम पुलिस वालों ने बिना देरी किये एक बारगी दबिश देकर घेट घोटकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उस व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम कमर आलम पुत्र याकूब निवासी ग्राम देहरा, थाना धौलाना उम्र करीब 39 वर्ष बताया। इसकी जामा तलाशी से पहने जींस की दाहिनी जेब से 01 अदद चाकू लोहे का जिसकी कुल लम्बाई करीब एक बालिस्त चार अंगुल है, जिसमें बेंटा की लम्बाई आठ अंगुल तथा फल की लम्बाई आठ अंगुल है, चाकू को खोलने एवं बंद करने के लिये एक पीली धातु का खटका लगा है तथा मुठ सिल्वर रंग, बरामद हुआ। बरामद चाकू के बारे में पूछा गया तो माफी मांगने लगा तथा लाइसेंस मांगा तो देने में कासिर रहा। अभि० कमर आलम उपरोक्त का यह जुर्म धारा 4/25 आयुध अधिनियम की हद को पहुंचता है। अभियुक्त कमर आलम उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 4/25 आयुध अधि० से अवगत कराते हुये समय करीब 22:35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के समय आने जाने वाले व्यक्तियों को मकसद बताकर गवाही गवाहान के लिये कहा गया तो भलाई बुराई से बचने के कारण कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिये तैयार नहीं हुआ तथा सभी व्यक्ति बिना नाम पता बताये चले गये। बरामद चाकू को एक कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मानवाधिकार आयोग के आदेश व निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। फर्द मौके पर मुझ उ०नि० द्वारा दो प्रति में टार्च की रोशनी में तैयार की गई तथा मौके पर मुझ उ०नि० द्वारा गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। बरामदगी की वीडियो मेरे प्राइवेट फोन के द्वारा ई साक्ष्य एप्प पर उ०नि० भरत यादव द्वारा बनाई गई, जिसका एसआईडी नं० 2007660356038909 है। गिरफ्तारी व बरामदगी की फर्द को पढ़कर सुनाकर अलामात बनवाये जा रहे हैं। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को थाने पहुंचकर जरिये उचित माध्यम दी जायेगी। ”

मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
(2) प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्ववत जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या व किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।
(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,
(4) जहां प्रार्थी/अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो,
या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

गुरुवख्श सिंह सिविया बनाम स्टेट आफ पंजाब 1978 Cr. L. J. 20 (F. B) में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– “See 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation– care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against tham and to mock at the logitmate investigation process authotised by law.”

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त कमर आलम के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होने का आरोप है, परन्तु अभियुक्त के विरुद्ध घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का अपराध सात वर्ष से अनधिक कारावास से संबंधित है। अभियुक्त वर्तमान में भी धारा 41 क दं०प्र०सं० के नोटिस पर संबंधित थाने से जमानत पर है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों में, गुणदोष पर बिना कोई मत दिये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर सशर्त मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अस्तु प्रार्थी/अभियुक्त **कमर आलम पुत्र याकूब** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

यदि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाते हैं या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो अभियुक्त **कमर आलम पुत्र याकूब** द्वारा मुबलिग 20,000/– रुपए का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक जमानती सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/ न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोड़ा जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आता है तो विचारण न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही अग्रसारित करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी व वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त इस तरह का अपराध नहीं करेगा। इस तरह के अपराध में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
5. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने या डराने धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना/न्यायालय को भेजी जाये।

दिनांकः– 01.06.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।